

07 <sup>10</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेश हुई।

राज पेरोकार उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 04 अनुपस्थित। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के अधिवक्ता को जवाब पेश करने में पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजूद जबाब पेश करने में विफल रहे हैं। लिहाजा इनके जवाब का अवसर बंद किया जाता है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर कल्ल करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 387 व प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुये होने से वे अतिकमण और कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं।

अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते हैं। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम माताजीवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 384 रकबा 2.6100 हैक्टर के पडौसी अप्रार्थीगण खसरा नंबर 387 के मध्य बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



3  
सहायक कमिश्नर एवं पट्टेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली